न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 20/2022

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/33

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री निर्वेश गर्ग पिता श्री विट्ठल गर्ग निवासी ग्राम एवं पोस्ट कुंवाला की ढाणी, ग्राम एवं पोस्ट कुवाला विथ बाटा, तहसील व जिला बॉसवाडा, **At also** – विट्ठल गर्ग पिता श्री रघु जी गर्ग, बंधक सम्पत्ति पट्टा नं–7, मिसल सं.ख्या 4 ग्राम पंचायत कोहाला, तहसील व जिला बॉसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता)
2. श्रीमती कल्पना देवी पत्नी श्री निर्वेश गर्ग, निवासी ग्राम एवं पोस्ट कुंवाला की ढाणी, ग्राम एवं पोस्ट कुवाला विथ बाटा, तहसील व जिला बॉसवाडा (सह ऋणी)
3. श्री विट्ठल गर्ग पिता श्री रघु जी गर्ग, ग्राम एवं पोस्ट कुंवाला की ढाणी, ग्राम एवं पोस्ट कुवाला विथ बाटा, तहसील व जिला बॉसवाडा (सह ऋणी)
4. श्री देवेश गर्ग पिता रमेशचन्द्र गर्ग निवासी हेरापाडा, चीचा रोड के पास, ग्राम सांगदोद, तहसील व जिला बॉसवाडा (जमानती)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 09–06–2022

ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्री निर्वेश गर्ग पिता श्री विट्ठल गर्ग निवासी ग्राम एवं पोस्ट कुंवाला की ढाणी, ग्राम एवं पोस्ट कुवाला विथ बाटा, तहसील व जिला बॉसवाडा, **At also** – विट्ठल गर्ग पिता श्री रघु जी गर्ग, बंधक सम्पत्ति पट्टा नं–7, मिसल सं.ख्या 4 ग्राम पंचायत कोहाला, तहसील व जिला बॉसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता) 2– श्रीमती कल्पना देवी पत्नी श्री निर्वेश गर्ग निवासी ग्राम एवं पोस्ट कुंवाला की ढाणी, ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:44 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

एवं पोस्ट कुवाला विथ बाटा, तहसील व जिला बॉसवाडा (सह ऋणी) 3– श्री विट्ठल गर्ग पिता श्री रघु जी गर्ग, ग्राम एवं पोस्ट कुंवाला की ढाणी, ग्राम एवं पोस्ट कुवाला विथ बाटा, तहसील व जिला बॉसवाडा (सह ऋणी) 4– श्री देवेश गर्ग पिता रमेशचन्द्र गर्ग निवासी हेरापाडा, चीचा रोड के पास, ग्राम सांगदोद, तहसील व जिला बॉसवाडा (जमानती) मे से अप्राथीगण सं. 1 से 3 को दिनांक 10.10.2016 को 3,00,000 (तीन लाख रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की गई थी। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 12.11.2020 को अक्रियान्वित आरित में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 07–07–2021 को कुल बकाया राशि 237264 रू. (दो लाख सेतीस हजार दो सौ चोसठ रूपया) एवं तत्पश्चात ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। अप्रार्थी सं. 3 ने ऋण राशि व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति को रहन किया जिसके अन्तर्गत **विट्ठल गर्ग पिता श्री रघु जी गर्ग, बंधक सम्पत्ति पट्टा नं.–7, मिसल संख्या–4, ग्राम पंचायत कोहाला, तहसील व जिला बॉसवाडा मे स्थित जिसका कुल माप 1071 वर्गफीट** है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके **पूर्व में रतनजी का मकान, पश्चिम में मुख्य सडक, उत्तर में गोपाल जी पिता श्री रघु जी गर्ग का मकान एवं दक्षिण में छगनलाल पिता रघु जी गर्ग का मकान** स्थित है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2017 के अनुसार प्रार्थी ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में बैंक को शामिल किया है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 10–07–2021 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को रू. 3,00,000 ऋण स्वीकृत किया गया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका ... प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 06.05.2022 को जारी किये गए। अप्रार्थी सं. 1 से 4 के नोटिस दिनांक 27.05.2022 को बाद तामील प्रस्तुत हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 16:00:44 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

किन्तु अप्रार्थीगण सं 2 से 4 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने अल्प समय चाहा। तत्पश्चात् आज दिनांक को समस्त अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे है।

अतः नोटिस बाद तामील प्रस्तुत होने एवं अप्रार्थीगण सं 1 से 4 को समुचित अवसर प्रदान करने के बावजुद अनुपस्थित रहे है। दिनांक 09-06-2022 को अप्रार्थी सं. 1 का जवाब बंद किया जाता है एवं समस्त अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

दिनांक 09-06-2022 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बॉसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात **ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर** को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 09-06-2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

(मोहर: कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (राज.))

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:44 IST
Reason: SelfAttested